"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 284] रायपुर, सोमवार, दिनांक 10 जुलाई 2017 —— आषाढ़ 19, शक 1939

गृह (जेल) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 1 जुलाई 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-25/तीन-जेल/2016. —— छत्तीसगढ़ जेल नियमावली के नियम 359 के उप-नियम (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, कॉलम क्रमांक (2) में उल्लिखित निम्नलिखित व्यक्तियों को, कॉलम क्रमांक (3) में उल्लिखित संबंधित संभाग हेतु, उनकी नियुक्त की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए, सलाहकार मंडल (संभाग स्तर) के अशासकीय सदस्य के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात् :-

क्र. (1)	अशासकीय सदस्य का नाम/पता (2)	संभाग का नाम (3)
1.	डॉ. अरूण त्रिम्बक दाबके आ. स्व. टी. एम दाबके (वर्ष 2004 पदम श्री सम्मान), निवास-21/41, सिविल लाईन्स, रायपुर.	रायपुर संभाग
2.	श्री शिव चन्द्राकर, निवास-दुर्ग (छ. ग.) मोबाईल नं. 9770545966.	दुर्ग संभाग
3.	श्री बलराम जायसवाल, पूर्व पार्षद एवं सामाजिक कार्यकर्ता, निवास-बौरीपारा, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ. ग.)	सरगुजा संभाग (अम्बिकापुर)
4.	डॉ. राजीव रत्न तिवारी, सेवानिवृत्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, निवास-नेचर सिटी कालोनी, ब्लाक नं. 114/115, फेस-दो, सकरी जिला-बिलासपुर (छ. ग.)	बिलासपुर संभाग
5.	पदमश्री धर्मपाल सैनी, निवास-माता रूखमणी सेवा संस्थान, डिमरापाल, जिला-बस्तर (छ. ग.)	बस्तर संभाग (जगदलपुर)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार ध्रुवे, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 1 जुलाई 2017

क्रमांक एफ 4-25/तीन-जेल/2016.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-25/तीन-जेल/2016, दिनांक 1-7-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार ध्रुर्वे, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 1st July 2017

NOTIFICATION

No. F 4-25/Teen-Jail/2016.— In exercise of the powers conferred by sub-rule (3) of rule 359 of the Chhattisgarh Jail Manual, the State Government, hereby, appoints the following persons mentioned in column number (2), as Non-Official Members of the Advisory Board (Divisional Level) for the period of three years from the date of their appointment, for the corresponding Division mentioned in column number (3) thereof, namely :-

S. No. (1)	Name of Non-official member/Address (2)	Name of Division (3)
1.	Dr. Arun Trimbak Dabke S/o Late Shri T. M Dabke (Year 2004 Padmashree Awarded), Resident of 21/41, Civil Lines, Raipur, Chhattisgarh.	Raipur Division
2.	Shri Shiv Chandrakar, Resident of Durg, Chhattisgarh. Mobile No. 9770545966	Durg Division
3.	Shri Balram Jaiswal, Ex. Parshad and Social Worker, Resident of Bouripara Ambikapur, District Sarguja, Chhattisgarh.	Sarguja Division (Ambikapur)
4.	Dr. Rajeev Ratan Tiwari, Retired-Chief Health Officer, Resident of Nature City Colony, Block No. 114/115, Phase-II Sakri, District Bilaspur, Chhattisgarh.	Bilaspur Division
5.	Padmashree Dharampal Saini, Resident of Mata Rukhmani Seva Sansthan, Dimrapal District Bastar, Chhattisgarh.	Bastar Division (Jagdalpur)

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIJAY KUMAR DHURVE, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017 .